राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 19/2022

GCMS No. 2022/144

1. दयाराम पुत्र तोताराम
2. मंजू देवी पत्नी दयाराम
   जाति गुर्जर निवासीगण नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सन्तोष कुमार पुत्र श्री फूलचन्द जाति गुर्जर निवासी मोठूका तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

........वादीगण

ब–ना–म

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह
2. रेणू पुत्री सुमेर सिंह
3. सुमन देवी पत्नी बहादुर सिंह
4. गोतम सिंह पुत्र बहादुर सिंह } नाबालिग जरिये संरक्षक माता सुमन देवी
5. डिम्पल सिंह पुत्र बहादुर सिंह }
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. भू स्वामी जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक 15–02–2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04–11–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या नया 63 में दर्ज हाल खसरा नंबर 1032 रकबा 0.73 है. में वादी सं. 1 का 25/112 हिस्से का, वादी सं. 2 का 25/112 हिस्से का तथा वादी सं. 3 का 25/56 हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/5135 दिनांक 12.12.2023

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

दयाराम आदि

ब–ना–म

जितेन्द्र सिंह आदि

ा बाबत खाता विभाजन

दमा नम्बर :– **19/2022**

ीय दिनांक :– **15–02–2023**

वादीगण की ओर से **श्री महीपाल दौराता एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **रामसिंह अवाना एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **15–02–2023** को समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12–12–2022 (प्रदर्श–"अ–1 ा. अ–3" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक -12–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–3" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग ंं।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **15–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर ाई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner